















# 'सीबीआई-ईडी का नाम बदलकर बीजेपी सेना रख दो'

आज ये एजेंसियां केवल भाजपा का दाजनीतिक हथियार बनकर रह गई हैं: सीएम केजरीवाल

## तानाशाही....

● तानाशाही अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान पर हमला है और वे अध्यादेश के खिलाफ सरद में दिल्ली की जनता का साथ देंगे।

टीम एक्शन इंडिया/नई दिल्ली/सीबीआई दिल्ली/सीबीआई अर्थविद केजरीवाल ने बुधवार को एक बार फिर भाजपा और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया होगा। आज ये एजेंसियों के बाल के केंद्रीय अध्यादेश व्यक्ति (सीबीआई) और प्रवर्तन निवेशालय (ईडी) का नाम बदलकर 'बीजेपी सेना' रख देना चाहिए। एक जमाना था, जब इन जांच एजेंसियों की इज्जत थी और कहीं रेड मार्टे थे। वो किसी को मिरपतार करते थे तो लगता था उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया होगा। आज ये एजेंसियों के बाल भाजपा का राजनीतिक हथियार बनकर रह गई हैं।



## सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र लेकर आया अध्यादेश

अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर-पोस्टिंग भी कर पाएंगी। उपराज्यपाल इन तीन मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य होंगे।

### केंद्र लेकर आया अध्यादेश:

इससे पहले अर्थविद केजरीवाल ने बुधवार को भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सीबीआई) महासचिव डॉ. राजा और सभी सीपीआई नेताओं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून में संशोधन करके या नया कानून बनारही है। अर्थविद केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि राज्यसभा में केंद्र सरकार अध्यादेश को पारित न करा पाए।

तानाशाही अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान पर हमला है और वे इस अध्यादेश के खिलाफ संसद में दिल्ली की जनता का

साथ देंगे। सभी दिल्लीवासियों की तरफ से मैं सभी सीपीआई नेताओं का तब दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

**सुप्रीम कोर्ट ने दिया था**  
आदेश: मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पार्च सदस्यों संविधान पोर से पिछले दिनों फैसला मुनावेहुए कहा था कि दिल्ली में जमान, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी।

मामले इसकी गिरफ्तारी से लिंक हुए हैं। बैंक खाते की जांच से पता चला है कि आरोपी ने पिछले एक माह में अपने गांव अधाईपुर, कैथवाना, भरपुर, राजस्थान निवासी आलमदुर्ग (50) के रूप में हुई है। पुलिस की छापेमारी के समय इसके दोनों आरोपी बैटे जलानुवान और मुर्सलीन मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के पास से आठ मोबाइल फोन और छह सिपाही क्वार्टर बार मिले हैं। छानबीन के दौरान पुलिस की आरोपी के सभी मोबाइल 140 लोगों की बीडियो मिली है, जिनके जिसका उपायुक्त रोहित मीणा ने जिनके जिसका उपायुक्त रोहित मीणा ने बताया कि साड़बाटे के लोगों को बैकेमेल कर सुनूने कर रहे थे। फिलहाल यूपी, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखण्ड के कुछ



## कई दिल्ली पुलिस अधिकारियों की तख्ते मी मिली..

छानबीन के दौरान पुलिस को आरोपी की मोबाइल से दिल्ली पुलिस के कई बैटे अधिकारियों की तख्ते मी मिली हैं। आरोपी इन फोटो के जरिये लोगों को डराते थे। आरोपी

आपनी छाटसएप डीपी पर भी इन अधिकारियों के फोटो ही लगते थे। आशका व्यक्ति की जा रही है कि इन लोगों ने कई सी लोगों को आपना शिकायत बनाया है।

को उनके छाटसएप पर अज्ञात नंबर से बीडियो कॉल आई। कॉल उठाते ही एक लड़की ने अश्वल हरकत शुरू कर रही थी। पीडित के साथ इसका बीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। कुछ देर बाद वही पीडित के मोबाइल पर एक व्यक्ति की ओर से शिकायत मिली थी। पीडित ने बताया कि 31 मई

## पीएफआई के राष्ट्रीय समन्वयक को मिली 6 घंटे की पैरोल



### आदेश

● इंद्राहिम को बेटी की शादी में सम्मानित होने के लिए पैरोल मिली है। इंद्राहिम को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुराणी जांच ने अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल मिली है।

● इंद्राहिम को बेटी की शादी में सम्मानित होने के तहत गिरफ्तार किया गया था।

● इंद्राहिम को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गि�रफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गि�रफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गि�रफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गि�रफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गि�रफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गि�रफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:

इंद्राहिम ने दूहरा कोर्ट से झटका लगाये के बाद दूहरा कोर्ट के आरोपी को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। अंतिम जानान की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जानान देने से इनकार करते हुए पैरोल दी है।

● 18 जून को हानी है शादी:</p







